



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12307

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-10474 वर्ष 2025**

राजू @ राज सिंह

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अनिल कुमार मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय सं - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल**

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है। आज दायर किए गए पूरक हलफ़नामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक, सहारनपुर जिले के बड़गांव पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 120-बी के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 233/2023 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका नाम सह-आरोपी जितेंद्र @ दर्शन के इकबालिया बयान में सामने आया है, जिन्हें इस अदालत ने पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। उक्त कथन का कानून की नजर में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। मुकदमा घोंघे के स्थान पर चल रहा है क्योंकि आज तक अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को सौंपे गए 12 मामलों के आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। हरियाणा में 2 मामलों में, उन्होंने अभी तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। आवेदक 06.02.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 02.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, आज तक किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

8. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा जमानत के लिए उसका मामला बन जाता है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में आया है, जिसका कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है, इस तथ्य के साथ कि आज तक किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह की जांच नहीं की गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- राजू @ राज सिंह, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

**जनवरी 19, 2026**

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)